भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013441

ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र

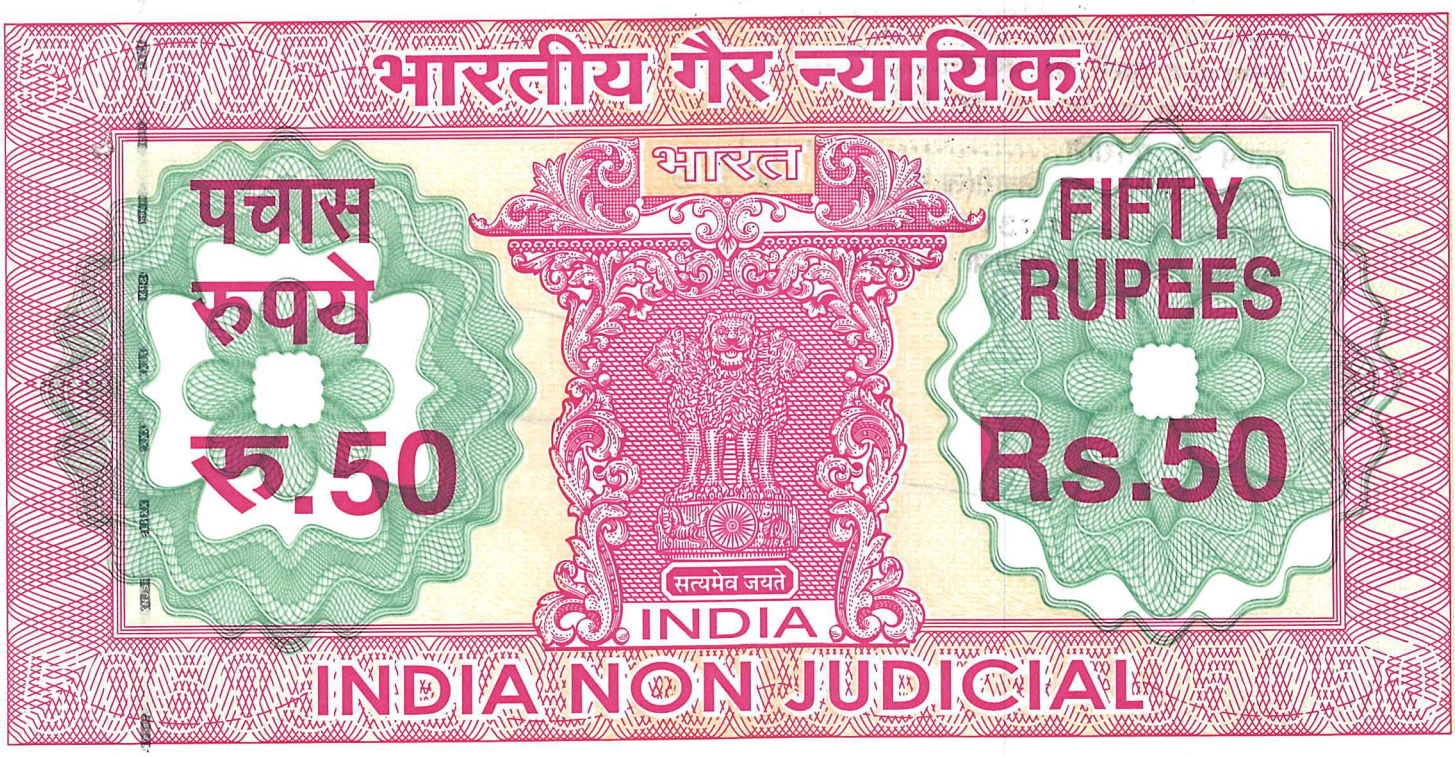
मैं कि अनुप कुमार शाही पुत्र सुन्दर देव शाही निवासी ग्राम व पत्रालय–पकहॉ, थाना–बघौचघाट तहसील व जनपद–देवरिया का हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से 2101 रू0 देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन कार्य प्रणाली, उद्देश्य एव व्यवस्था निम्न/उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी।

1. ट्रस्ट का नाम– स्व0 चन्द्रिका शाही मेमोरियल सेवा संस्थान
2. ट्रस्ट का कार्यालय व पता– ग्राम व पत्रालय–पकहॉ, तहसील व जनपद–देवरिया (उ0प्र0) 274001
3. ट्रस्ट का उद्देश्य– ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे–

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट गठित किया जाता है।

* बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, प्राथमिक , माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रसार चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा तथा पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद्, ज्योतिष, आयुर्वेदिक नैसर्गिक चिकित्सा रत्न विज्ञान, मडीटेशन (मनन), कला वाणिज्य आदि पर आधारित शिक्षा, व्यवहार एव

Anoop Kumar Shahi



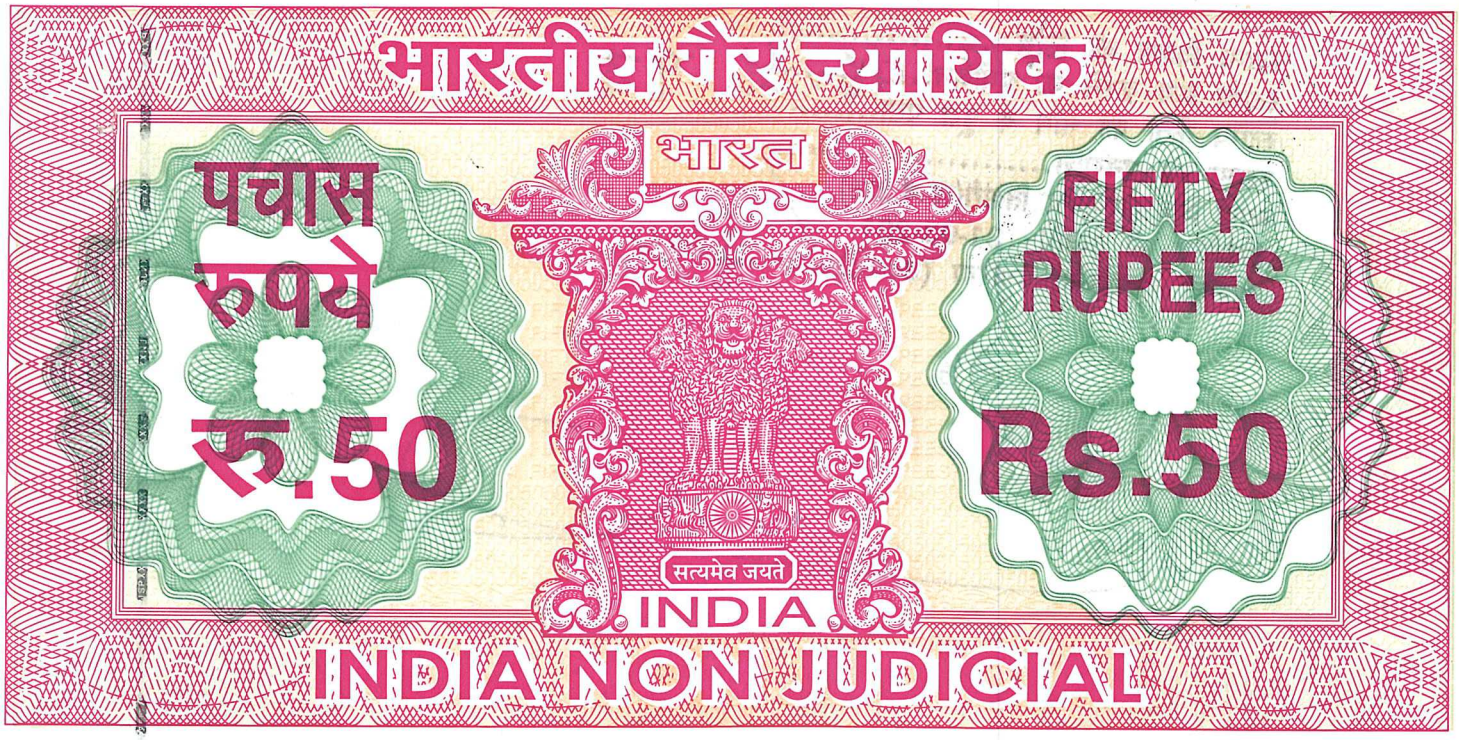
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013442

स्वास्थ्य विकास एवं प्रसार करने हेतु संस्था स्थापित करना, जागरूकता प्रदान करना।

* उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन यापन को बढ़ावा देना।
* उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं/अनुसंधान अध्ययनों, तकनीकी अध्ययनों तथा व्यवहारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
* उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक तकनीकी कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।
* उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों, समूहों या व्यक्तिगत को सलाह प्रदान करना।
* पर्यायवरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थानों को स्थापित करना तथा जनजागरूकता लाना।
* न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु किताबों, समाचार पत्र मिडिया सावधि (पीरियोडिकल) जनरल सम्वाद पत्र (न्यूज लेटर), दृश्य श्रव्य एवं डिजिटल डाटा आदि का प्रकाशन करना/कराना।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013468

* न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत व्यक्तियों, समूहों, संगठनों एवं समितियों आदि के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना।
* न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कानूनों, लाभकारी नियम एवं परिनियमों के निर्माण हेतु वार्ताएँ, संगोष्ठी आदि आयोजित करना, ज्ञान प्रसारित करना तथा न्यास की उद्देश्यों हेतु जनहित याचिका आयोजित करना तथा जनता को उत्प्रेरित करना।
* न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना। जिससे कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।
* इस न्यास के उद्देश्यो का प्रचार प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना, जो उचित समझे जायें। विशेष रूप से जैसे:– प्रेस परिपत्र (सर्कुलर्स) इसके कार्यों की प्रदर्शनी, पारितोसिक तथा दान आदि वितरित करना।
* न्यास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अनुवेश एवं सन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उसमें पढ़ने लिखने के कमरे स्थापित करना, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों का उपलब्ध कराना।

Anoop Kumar Shahi

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013444

* अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसुति गृह, बाल कल्याण केन्द्र परिचार्या, गृह के तथा अन्य इसी प्रकार के पुर्त संस्थानो के जन सामान्य के लाभ हेतु भारत यादव विदेश में ही स्थापना करना, व उन्हे धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

* परिवार कल्याण से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना व उनको बढ़ावा देना।

* उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीड़ा क्लब, व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, रैन बसेरा, सार्वजनिक प्याऊ, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जन सामान्य के उपभोग के लिए स्थापना करना उन्हे चलाना तथा उनकी सहायता करना।

* सभी धर्मों के लोंगों को संगठित करना, तथा सेवा आदि के लिए धर्म संस्थानों को निर्मित कराना, और उसका प्रबन्धन करना और मन्दिर में पूजा के लिए मूर्तियॉ लगवाना।

* अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसी संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।

Anoop Kumar Shahi

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013445

कृषि बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार विरोध कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, नागरिक उड्डयन , सहकारिता ऊर्जा, शिक्षा, प्राथमिक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटल, खाद्य एव रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, फर्म, भूतत्व एवं खनिज कर, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हतपरगा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति , मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी अनुमोदन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधाई संस्थाएं, नियोजन, निर्वाचन एवं पचायती राज, बैंकिंग भाषा मुद्रण अभिलेखन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी सतर्कता, समन्वयक, सार्वजनिक उद्यम सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात, प्रोत्साहन, पुरातत्व प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणि उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा जमुना आदि स्वच्छीकरण आपदा राहत, पेय जल एवं सहकारी समितियाँ

Anoop Kumar Shah

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013446

साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एव प्रबन्धन संस्थाए, न्यायिक प्रशिक्षण एंव अनुसधान संस्थान, रिमोट सेन्सिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक उर्जा संस्थान, वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, संगीत नाटक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया, कम्प्यूटर एव अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएं स्थापित करना उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

* उपरोक्त सभी क्रियाकलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।

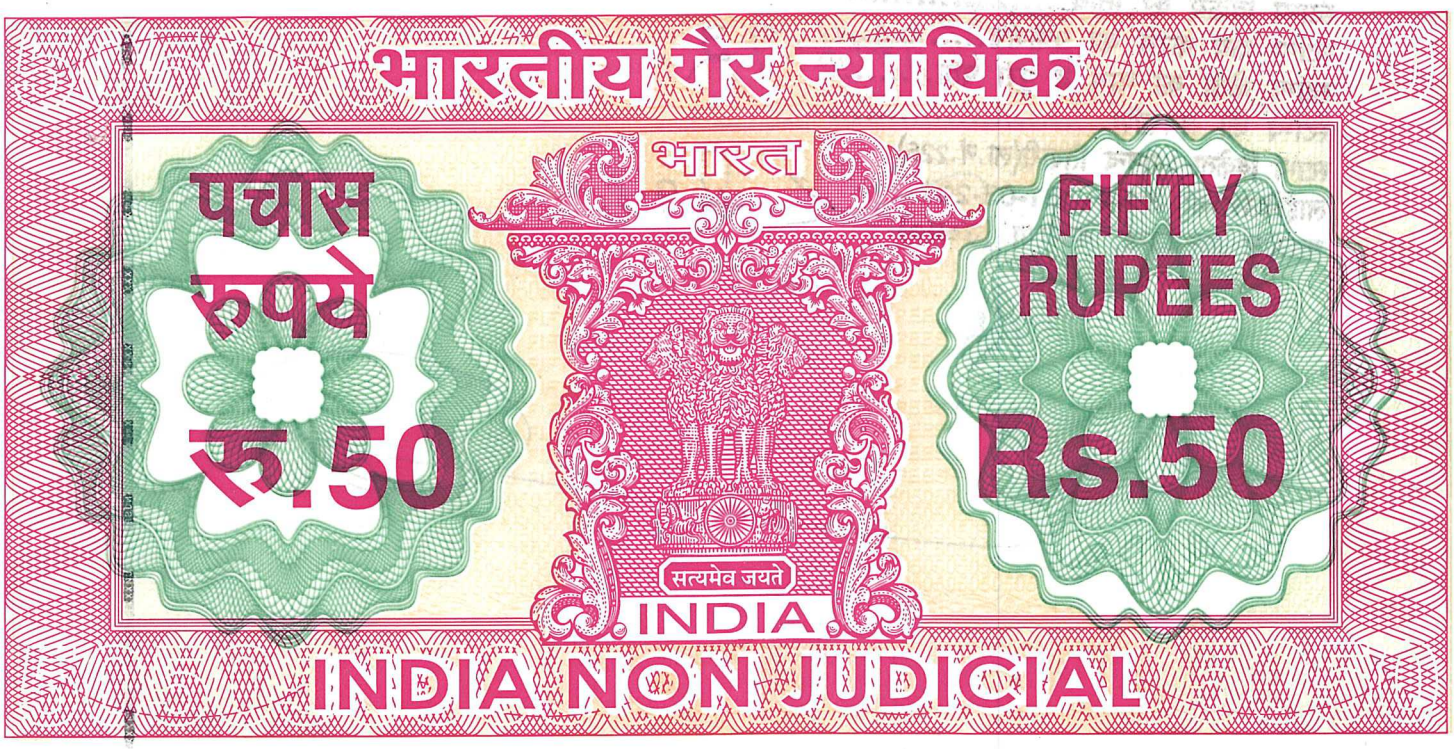
* अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।

* ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयोग के समय–समय पर कर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।

5. **न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियॉः–**

न्यास के उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक अनुप कुमार शाही द्वारा दिये गये

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013447

2101 रू0 की ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

6. ट्रस्ट की प्रबन्धन समिति (न्यासी परिषद्) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरित लिखे होते हुए भी भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियॉ धारण करेगी।

* ट्रस्ट / न्यास के सहयोग, चन्दा आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या अन्य बिना शर्त के स्वीकार करना।

* इस न्यास पत्र की शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियॉ तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने विलेखानुसार समय–समय पर उपयोग करना।

* न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियॉ प्राप्त करना।

* न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाइसेन्स पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

Anoop Kumar Shahi

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

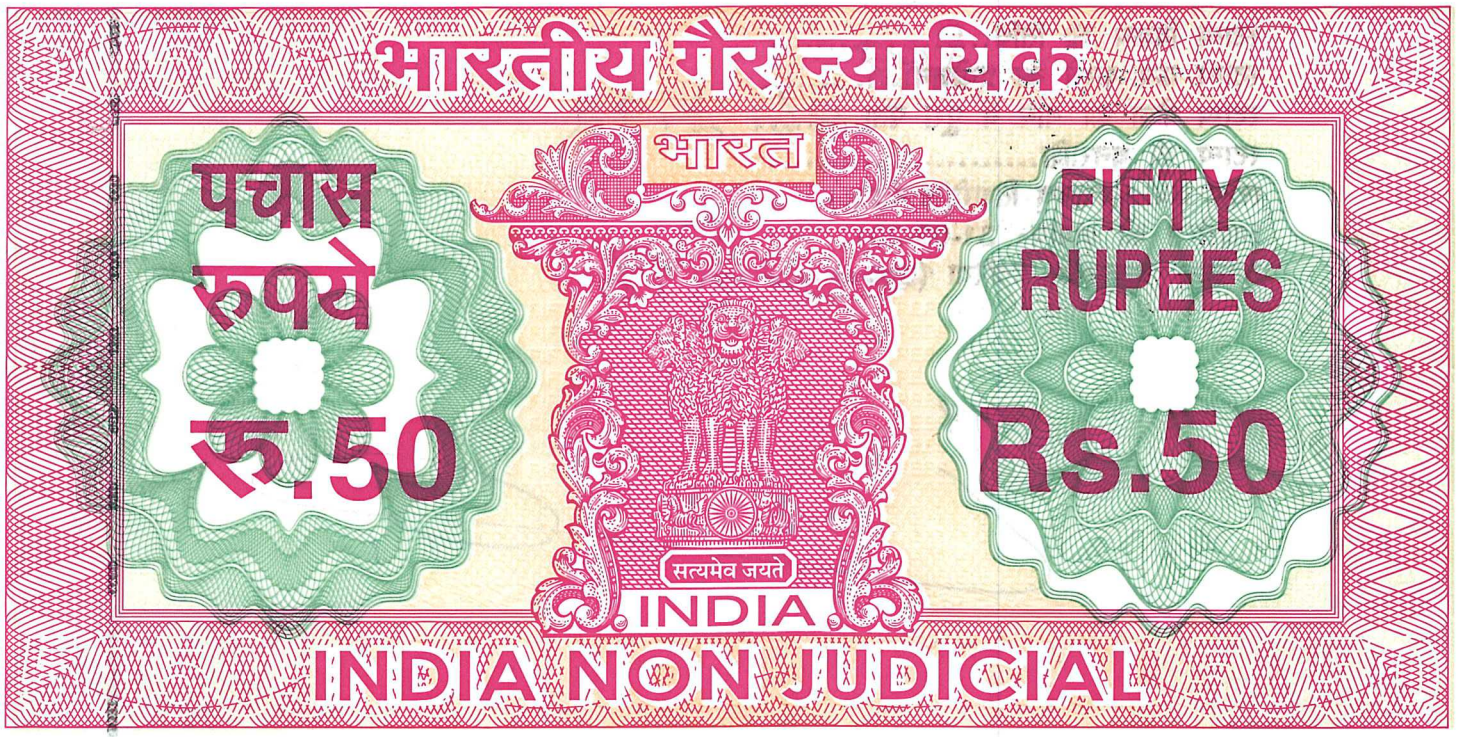
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013451

- न्यास के उद्देश्यों कें हित में समझौता करना,अनुबन्ध करना,तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना तथा या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय,ट्रिव्यूनल,राजस्व,म्यूनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद,अपील,रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिव्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना, उन्हे चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरूद्व दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिव्यूनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा या चुनौती नही दी जा सकेगी।
- न्यास की सम्पत्ति या किया–कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्याय परिषद जों भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।

Anoop Kumar Shahi

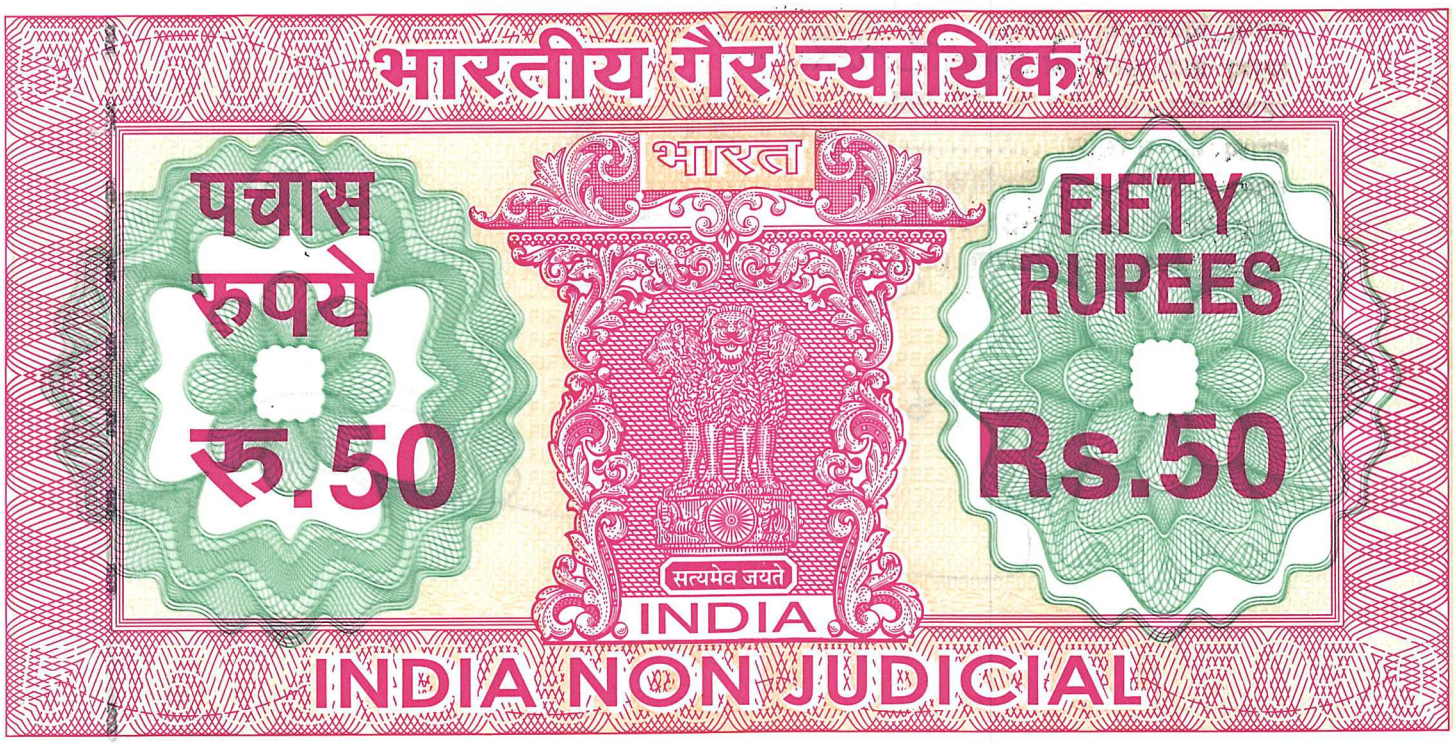


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013452

- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- न्याय परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियों किसी न्यासी का अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधारित करना,परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्याय की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।
- न्यासियों की सहमति पर लोंगो को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना,परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नही होगा।

Anoop Kumar Shahi

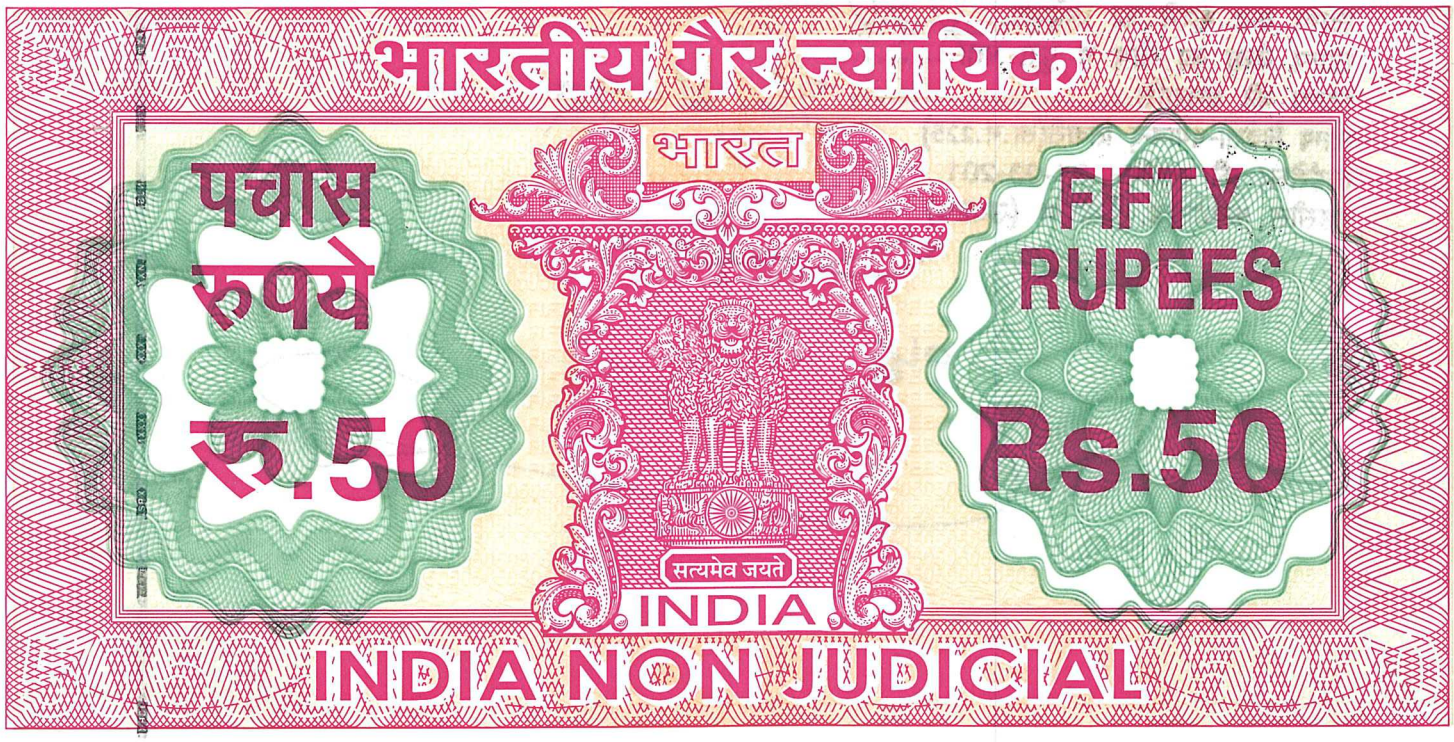


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013453

- न्यासी राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तो,दावों,मॉग,मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीयाचित करना।
- समय--समय पर मुख्तार–ए–आम या मुख्यासर–ए–खास या अभिकर्ता नियुक्ति करना और मुख्त्यार–ए–आम या मुख्त्यार–ए–खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियॉ प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना तथा समय समय पर ऐसे मुख्त्यार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान परन अन्य नियुक्त करना।
- न्यास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनायें बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के किया–कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनायें तथा परिनियम बनाना व उसमें परिवर्तन करना।
- जनहित में किसी भी पूर्त संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुन: प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संसथाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्त लागू करना।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013448

* आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

* विभिन्न योजनाओं में लगाए गये धन को वापस लेना एवं उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना।

7. **ट्रस्ट की सम्पदा:**—न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक अनुप कुमार शाही द्वारा दिये गये 2101 रू0 को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

ट्रस्ट की प्रबन्धन्धन समिति का गठन:— अनुप कुमार शाही के पुत्र एवं पुत्रियां भी बालिग होने पर स्वतः सदस्य बन जायेंगे।

Anoop Kumar Shahi

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 013450

संस्थापक सदस्यों का पूरा नाम व पता निम्नवत् है:–

क्र0	नाम पिता का नाम	पुरा पता	पदनाम
1.	अनूप कुमार शाही पुत्र सुन्दरदेव शाही	ग्राम व पत्रालय–पकहॉ, तहसील व जिला–देवरिया (उ0प्र0) पिन कोड–274001	संस्थापक एवं मुख्य न्यासी
2.	सुन्दरदेव शाही पुत्र स्व0 चन्द्रिका शाही	ग्राम व पत्रालय–पकहॉ, तहसील व जिला–देवरिया (उ0प्र0) पिन कोड–274001	उपाध्यक्ष
3.	कान्ती देवी पत्नी श्री रामराय	ग्राम–संग्रामपुर जिला–गोपालगंज बिहार	मंत्री / सचिव
4.	तारा देवी पत्नी सुन्दरदेव शाही	ग्राम व पत्रालय–पकहॉ, तहसील व जिला–देवरिया (उ0प्र0) पिन कोड–274001	कोषाध्यक्ष
5.	संजना पुत्री वशिष्ठ शाही	ग्राम व पत्रालय–पकहॉ, तहसील व जिला–देवरिया (उ0प्र0) पिन कोड–274001	सदस्य
6.	विभा देवी पत्नी राजीव राय	ग्राम–सेवरहीं जिला–कुशीनगर	सदस्य

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491007

> न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित और न्यास निधि में जमा करना।

> देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्त संस्थायें/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों,न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।

> सस्था के खातों का व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्यकलापों, कार्यवाहियों,मांगो दावों या वाद–विवाद में जैसा व उचित समझें समझौता करना,उसका परित्याग करना या न्यास को फैसलें हेतु सौंपना।

> न्यास की सम्पत्ति पर किसी अन्य प्रकार के जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तो का निर्धारण न्यासीगण के विवेकानुसार किया जायेगा।

> न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थायें,कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार,अनुदान मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना–पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491008

इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना तथा शासकीय विभागो,सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्ति तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि निर्धारित करना।

> न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वालें न्यास / सोसाइटी / संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

> न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना,सहायता करना, संचालित करना या उन्हे इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491009

> ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

> इस न्यास मे जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं,संगठनों,समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।

> न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, सस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना,जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।

> न्यास को उन अन्य समिति, संस्था,न्यास या संगठन को उन शर्तो में सौंपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तुं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी एव ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उनमोचित हो जायेगे और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।

Anoop Kumar Shah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491010

> न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चो को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आंवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठको के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमों का समय समय पर संशोधित कर सकते है। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन होनें के उपरान्त् ही प्रभावी होंगे।

> न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध–न्यासी, व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपनें नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों कें अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

> न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।

Anoop Kumar Shah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491012

संस्थापक सदस्यो द्वारा ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज से सम्मानित सदस्यो को ट्रस्ट /न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट को पाँच हजार एक सौ (5100) दान दें, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते है।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491014

> यदि ट्रस्ट को कोई सदस्य, सदस्य बनने के बाद उक्त तीनो में से किसी एक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसें किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपनें विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

9– ट्रस्ट की कार्य प्रणाली –

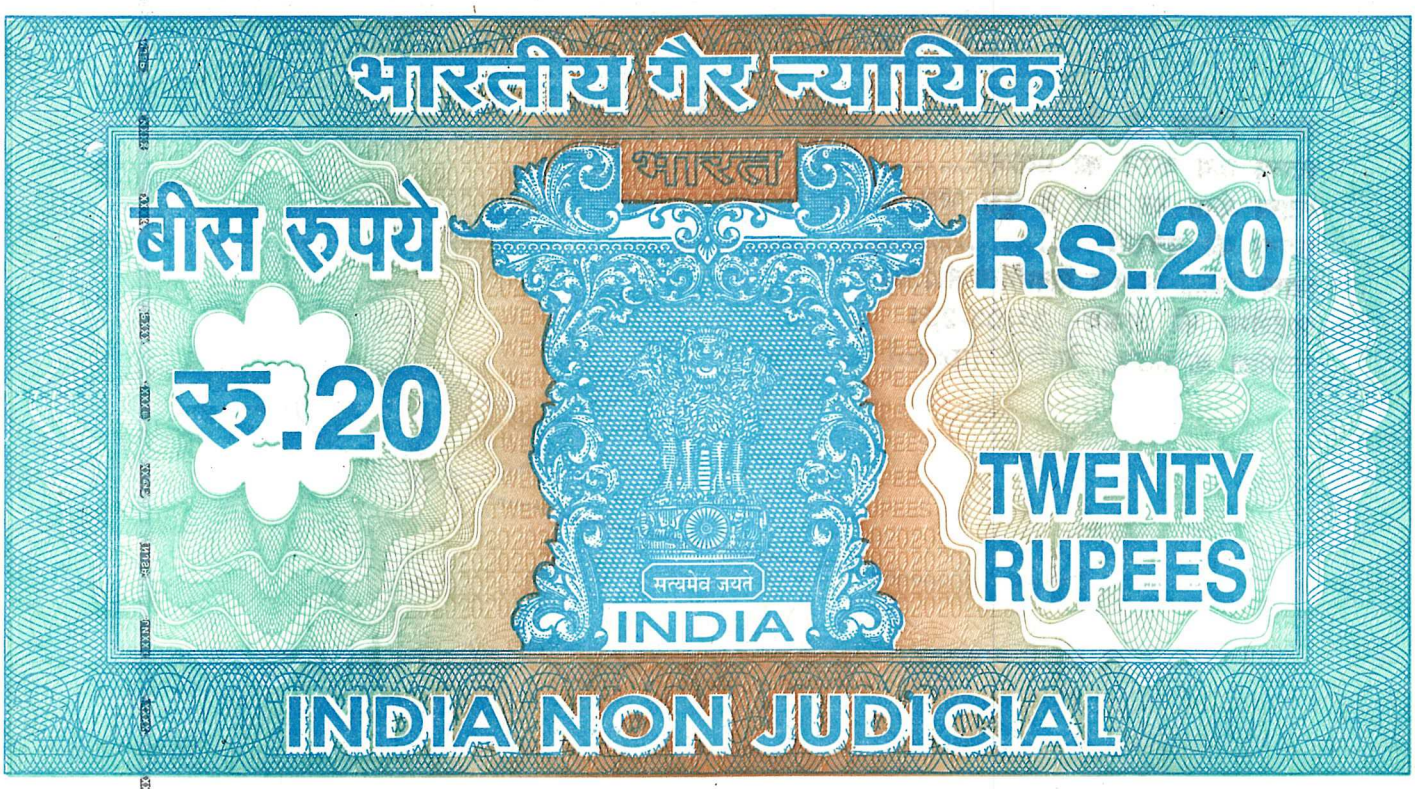
1– ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रंतिनिधित्व करेगा।

2– कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।

3– ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिये गये समस्त निर्णयो तथा अन्य विचार–विमर्श को लिपिबद्व कराते हुए सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव/मंत्री का होगा।

4– ट्रस्ट की साधारण सभा की सदस्य संख्या के 1/4 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक कराना अनिवार्य होगा।

Anoop Kumar Shah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491015

5– कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में या अन्यथा भी अध्यक्ष/मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा। किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष ,समर्थन में ,संस्थापक सदस्यों की कम से कम कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

6– बैठक की सूचना सभी सदस्यों कों उनके स्थायी पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या मोबाइल फोन द्वारा भी बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

10– ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति –

ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे।

1– अध्यक्ष	अनूप कुमार शाही पुत्र सुन्दरदेव शाही
2– उपाध्यक्ष	सुन्दरदेव शाही पुत्र स्व0 चन्द्रिका शाही
3– सचिव/मंत्री	कान्ती देवी पत्नी श्री रामराय
4– कोषाध्यक्ष	तारा देवी पत्नी सुन्दरदेव शाही

ट्रस्ट का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यो में से स्वयं करेगा। इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। कोषाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट की साधारण सभा द्वारा अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जायेगा। कोषाध्यक्ष पद हेतु किसी भी सदस्य को साधारण सभा में दो तिहाई बहुमत का समर्थन न मिलने की दशा मे संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त पद धारक का चयन किया जायेगा। किसी कारणवश किसी दशा में चयन न होने पाने की दशा मे अध्यक्ष/मंत्री द्वारा द्वारा संयुक्त रूप से उक्त पद पर चयन होने तक कोषाध्यक्ष का [redacted] नीत किया जायेगा।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491016

ट्रस्टियो/न्यासीगणों कें अधिकार – ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यो के निम्नवत अधिकार होंगे।

क– **अध्यक्ष** – ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनकें सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।

> मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।

> ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने वाली ट्रस्टी को प्रबन्धक/मंत्री की सहमति से ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

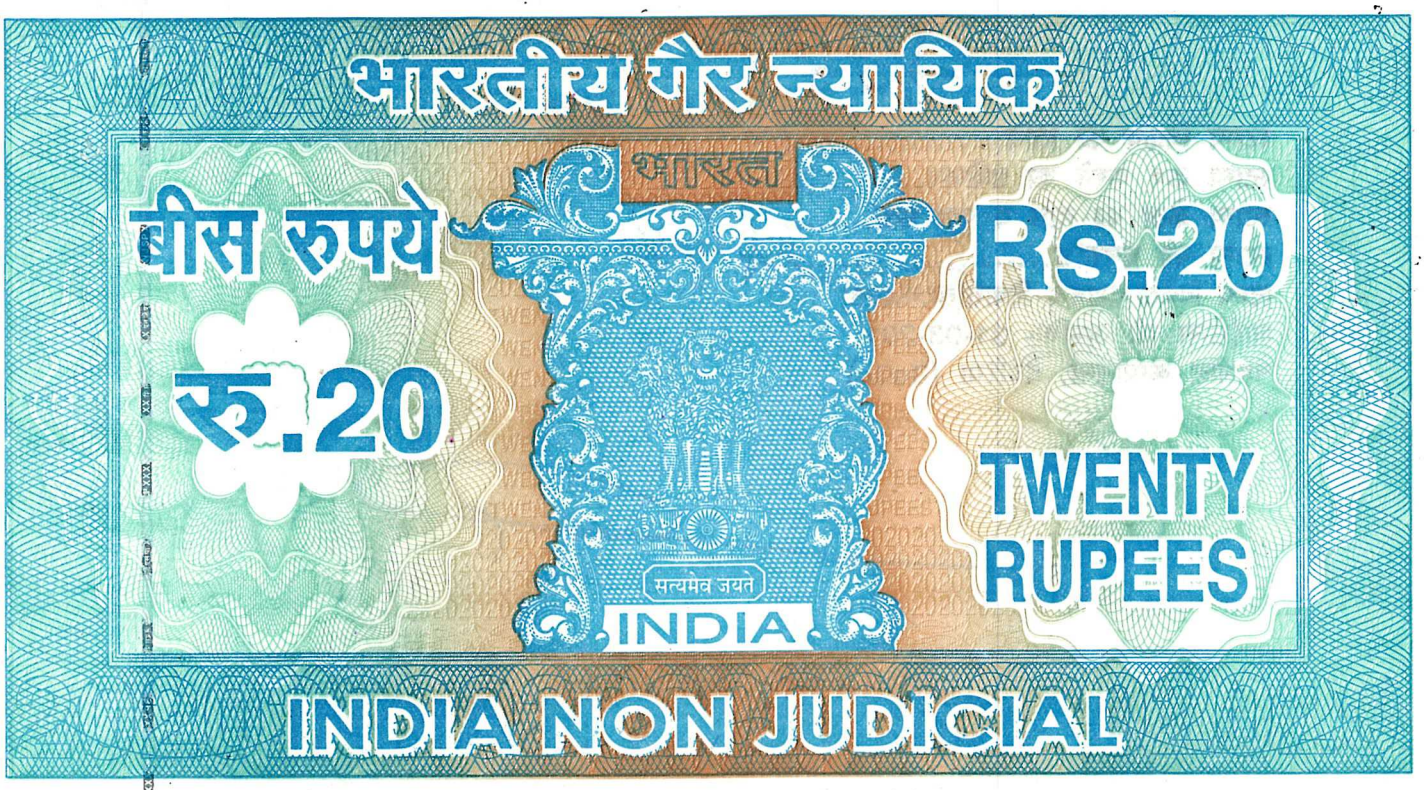
> उपाध्यक्ष का चयन करना

> न्यास व न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओ के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति।

> न्यास/न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय(जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये तो) के कियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।

> न्यास के सभी पत्राचार अध्यक्ष के नाम होंगे।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 491017

न्यास की समस्त राशियों का व खातों का कोषाध्यक्ष के सहयोग से संचालन।

सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब पर नियंत्रण रखना तथा ट्रस्ट की बैठको में उन्हे कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना।

जहॉ कही किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न्न हो वहॉ अन्तिम निर्णय देना।

ख– **उपाध्यक्ष** – अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये गये सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना।

ग– **मंत्री**:–

ट्रस्ट के दो वार्षिक बैठकों एवं अन्य सभी प्रकार की बैठको का आयोजन करना।

ट्रस्ट एवं सम्बन्धित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही की बैठक में प्रस्तुत करना ।

एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना।

घ– **कोषाध्यक्ष** –

अध्यक्ष की अनुमति से समस्त प्रकार के वित्तीय कार्य करना एवं उसका रख रखाव करना तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसके साथ खातो का संचालन करना।

अध्यक्ष और मंत्री की लिखित अनूमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तदनुसार ही चल/अचल सम्पत्ति दान के रूप में प्राप्त करना।

Anoop Kumar Shahi

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 344337

अपने दायित्वो से सम्बन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख रखाव करना।

अध्यक्ष/मंत्री द्वारा मांगे जाने पर समस्त अभिलेख प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट/ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं के खातो का वार्षिक सम्परीक्षा कराना।

ट्रस्टी सदस्य – ट्रस्ट की बैठको मे प्रतिभाग करना राय तथा मत देना।

ट्रस्ट डीड में संशोधन – वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन करना चाहे तो समिति के दो तिहाई बहुमत तथा प्रबन्धक एंव मंत्री की सहमति के आधार पर वांछित संशोधन किया जा सकेगा। जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विघटन – अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

Anoop Kumar Shahi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 488591

संस्थापक सदस्यों एव नियमानुसार बनाये गये अन्य सदस्यों / ट्रस्टी / न्यासी को मिलाकर सभी सदस्यो को ट्रस्ट की साधारण सभा / न्यासी परिषद कहा जायेगा।

अनूप कुमार शाही ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेगे **अनूप कुमार शाही** के उपरान्त अध्यक्ष पर पद चुनाव साधारण सभा / न्यासी परिषद द्वारा बहुमत से किया जायेगा अध्यक्ष पद पर कभी भी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नही बैठेगा जो **अनूप कुमार शाही** का रक्त सम्बन्धी न हो।

ट्रस्ट का सदस्य बननें की योग्यता – न्यास पत्र के बिन्दु–7 में उल्लिखित प्राविधान के बावजुद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य (या अध्यक्ष) नहीं बन सकता, जो –

1– पागल / मानसिक रूप से बीमार हो।

2– नैतिक अपराध के आरोप में सजयाप्ता हो।

3– ट्रस्ट के उद्देश्यो की विपरीत कार्य करें।

Anoop Kumar Shahi

दु 269

2421/92

अनूप कुमार शाही पुत्र सुन्दर देव साकिन पकहा

[illegible]

यास पत्र

2,101.00	200.00	30	230.00	1,200
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

Anoop Kumar Shahi

अनूप कुमार शाही

सुन्दर देव





व्यवसाय

निवासी स्थायी सा पकहा

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/5/2013 समय 2:07PM बजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 सिंह
उपनिबन्धक सदर
देवरिया
27/5/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

Anoop Kumar Shahi

अनूप कुमार शाही

सुन्दर देव

पेशा

निवासी सा पकहा







ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान विजय विजय

जगरनाथ

पेशा

निवासी पकहा

व श्री अमित कुमार एड0

पुत्र श्री

पेशा

निवासी

ने की ।







प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

निष्पादक ने पहचान पत्र के रूप में निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।

मनोज कुमार गौतम
निबन्धन लिपिक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 सिंह
उपनिबन्धक सदर
देवरिया
27/5/2013



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 488590

न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या सस्था से उन शर्तो पर ले सकते है जो उन्हे उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।

न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों को प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेगे और बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेंगे।

उपरोक्त उददश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों को वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

अनूप कुमार शाही पुत्र सुन्दरदेव शाही के पुत्र एवं पुत्रियां बालिग होने पर ट्रस्ट के स्वतः सदस्य बन जायेंगें।

Anoop Kumar Shahi

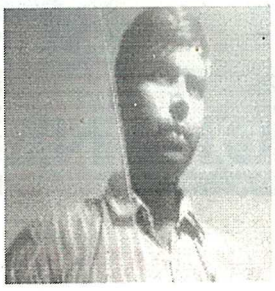
न्यासी

Registration No.: 44 Year : 2,013 Book No. : 4

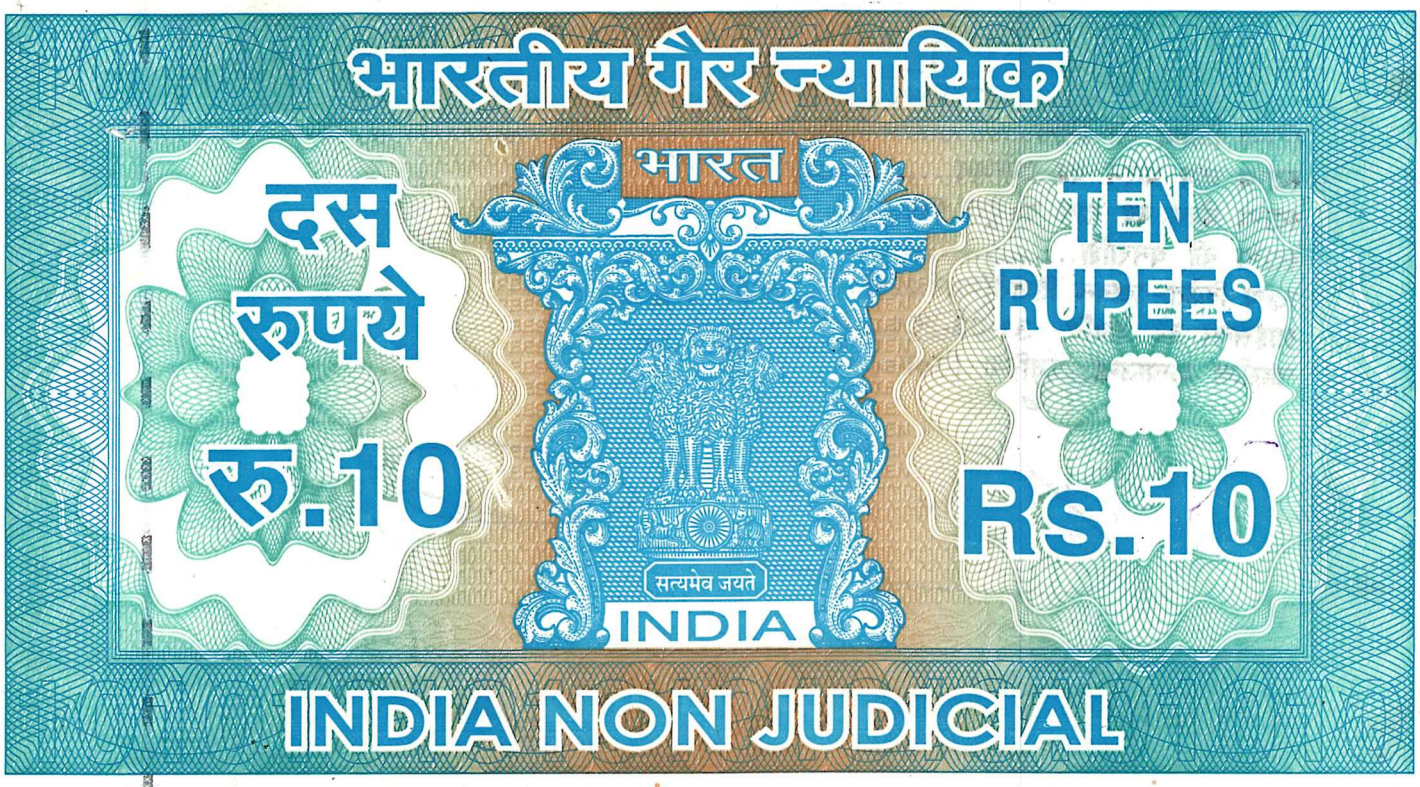
0101 अनूप कुमार शाही

सुन्दर देव

सा पकहा







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 80AB 137810

मैं अनूप कुमार शाही पुत्र सुन्दरदेव शाही ग्राम व पत्रालय–पकहाँ, तहसील व जनपद–देवरिया, उ0प्र0 274001, को आज दिनांक 18 मई 2013 को इस ट्रस्ट का पंजीकरण करवाकर इसकी स्थापना करता हूँ।

विजय शाही S/o स्व० जगनायक

गवाह–1 शाही–पकहाँ देवरिया

गवाह–2, मृत्युंजय सिंह S/o ओमप्रकाश सिंह

शंभुपट्टी, मुंडीनवल

Anoop Kumar Shahi

टाईपिस्ट का नाम– कृष्णा फोटो कापियर्स, देवरिया

मसौदाकर्ता का नाम– अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट AG/18 Adv.

दिनांक– 27.05.13 28.05.2013

₹324

स्टाम्प विक्रय की तिथि.....96.4.93

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.....

स्टाम्प की धनराशि.....

स्टाम्प विक्रेता-दयानन्द तिवारी(ला.नं.225)

लाईसेन्स की अवधि- 31-03-201~~4~~ ₹96

तहसील कम्पाउन्ड देवरिया (उ०प्र०)

आज दिनांक 27/05/2013 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 33

पृष्ठ सं. 283 से 332 पर कमांक 44

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 सिंह

उपनिबन्धक सदर

देवरिया

27/5/2013